शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/190/2014

श्री सुनील कुमार सोनी, —शिकायतकर्ता
सोनिका ज्वलेर्स, हुंडई शोरूम के सामने,
नया सरकण्डा, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, — अनावेदक
छ0ग0 शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,
नया रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 11/09/2014)

प्रकरण वी0सी0 में प्रस्तुत। यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत अनावेदक जनसूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

शिकायत यह है कि उन्होंने अनावेदक जनसूचना अधिकारी छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय रायपुर से अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दिनांक 24.5.13 प्रस्तुत कर उक्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक एफ 7—.44/2009/32, रायपुर दिनांक 20.9.2011 जिसमें समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर को सूचित किया गया था कि राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि शहर के मध्य स्थित घनी आबादी के भूंखडों के व्यपवर्तन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा व्यपवर्तन करने के पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी परीक्षण कर संतुष्ट हो जाये कि ऐसे भूंखड किसी अवैद्य कालोनी या विकास का भाग तो नहीं है, के संबंध में निम्नलिखित दो बिंदुओं की जानकारी चाही गई थीः—

1. उपरोक्त व्यवस्था बड़े भूखंडों पर लागू होगी या छोटे भूखंडों पर या दोनो पर।
2. यदि केवल छोटे भूखंडों पर ही लागू होगी तो, छोटे भूखंडों एवं बड़ें भूखंडों को निर्धारित करने ाले मापदंड की प्रमाणित छायाप्रति।

अनावेदक जनसूचना अधिकारी ने शिकायतकर्ता/आवेदक को पत्र दिनांक 31.5.13 द्वारा सूचित किया कि अधिनियम की धारा 2(ज)(ञ) एवं भारत सरकार की मार्गदर्शिका दिनांक 05.10.2009 की कंडिका 10 के अंतर्गत जानकारी देना अपेक्षित नहीं है।

शिकायत यह है कि अनावेदक जनसूचना अधिकारी सूचना यथावत् देने के लिए कर्तव्यबद्ध थे और जानबूझकर भ्रामक स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने 25,000/— की शास्ति एवं

50,000/– का मुआवजा दिलाने तथा वांछित जानकारी प्रदान करना आदेशित करने की प्रार्थना की है।

अनावेदक श्री जी0एल0 सांकला, जनसूचना अधिकारी उपस्थित। अनावेदक जनसूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त किया गया। उन्हें सुना गया। जवाब में लिखा है कि शासन के जिस ज्ञापन का उल्लेख कर जानकारी मागी गई है उक्त आदेश में बड़े भूखंडो/छोटे भूखंडों की सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए वांछित सूचना/जानकारी की प्रतिलिपि दिये जाने का प्रश्न नही है। यदि वांछित सूचना/जानकारी दी जानी है तो पृथक से व्याख्या कर जानकारी दिया जाना होगा। जो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है।

संक्षेप में अनावेदक का पक्ष है वांछित सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं है और व्याख्या कर उपलब्ध कराना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। अधिनियम की धारा 2(ञ) भी सूचना के संबंध में यह कहती है कि सूचना जो किसी लोक प्राधिकारी या उसके नियंत्रणाधीन धारित है उसे ही दिया जाना है। जिस मार्गदशिका का हवाला दिया जा रहा है उसमें भी यही लिखा है कि ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध हो या उसके अधीन हो।

अनावेदक का जवाब संतोषप्रद प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता/आवेदक ने जो सूचना मांगी है वह शासन द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्टीकरण है और अनावेदक के अनुसार रिकार्ड में ऐसी कोई सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं है जो स्थिति स्पष्ट करती हो तथा व्याख्या कर देने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 6454, **SLP(C) No. 7526/2009, Central board of secondry education & Anr. Vs Aaditya Bandopadhyaya & Ors.** में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :–

" At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information that available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the defenitions of ' information 'and ' right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the act. if a punblic authority has any infomation in the form of data or analysed data, or abstracts, or statics, an applicant may access such infomation, subject to the exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained any law of thr rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obiligation upon the public authority, to collect or collate such non available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not require to furnish information it to an applicant. Which require drawing of infrences and/or making of assumptions. it is also not required to provide ' advice' or 'opinion' 'opinion' to an applicant, not required to obtain and furnish any 'opinion' or 'advice' to an aplicant. The refrence to 'opinion' or 'advice' in the definition of ' information' in section 2 (f) of the Act, only refers to such material available in the records of a public authority. Many a public authorities have, as public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obiligation under the RTI Act. "

माननीय सवोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत से स्पष्ट है कि रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी ही उपलब्ध कराई जा सकती है उसके संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना, राय देना अपेक्षित नही हैं। अतः यह

पाया जाता है कि अनावेदक ने अधिनियम में निर्धारित समयावधि में शिकायतकर्ता/आवेदक को जवाब दे दिया था। यदि वे उससे असंतुष्ट थे तो अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपील कर सकते थे परंतु उन्होंने ऐसा न करते हुए धारा 18 के अंतर्गत शिकायत कर दी। उल्लेखनीय है कि धारा 18 के अंतर्गत जानकारी दिलाने का आदेश देने का अधिकार आयोग को नहीं है। इसकी पुष्टि मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रकरण चीफ इन्फार्मेशन कमीशन एवं अन्य एवं मणिपुर राज्य, एवं अन्य सिविल अपील क0 10787–10788/2011 जो एस0एल0पी0 (C) नं0 32768–32769/ 2010 से उदभूत है, में पारित निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2011 से भी होती है। इस प्रकरण में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया है कि अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को सूचना/जानकारी दिलाये जाने का आदेश करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में शिकायत पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई जाती है। शिकायत समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त